संख्या-14/2018/508/94-स्टा०नि०-2-2018-700(156)/2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 04 मई, 2018

विषय- राज्य सरकार द्वारा भूमि के क्रय अथवा राज्य सरकार के पक्ष में दान अथवा लीज के रूप में दी गयी भूमि के विलेख पर स्टाम्प देयता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसी विलेखों के निष्पादन के लिए शासनादेश सं०-क०नि०-5-3302/11-2001-500(22)/2001, दिनांक 31 मई, 2001 में निहित प्रक्रिया का पालन किये जाने की व्यवस्था है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तीकरण/सुन्दीकरण योजना के अंतर्गत लगभग 200 सम्पत्तियों को उनके भू-स्वामियों से राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2015 के प्राविधानों के अनुसार आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रयोजन हेतु शासन द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू० 40.00 करोड़ तथा द्वितीय किश्त के रूप में रू० 150.00 करोड़ की धनराशि जिलाधिकारी, वाराणसी के निर्वतन पर रखी गयी है।

2. उक्त के क्रम में शासन के संज्ञान में लाया गया है कि इतनी अधिक सम्पत्तियों के प्रत्येक विक्रय विलेखों का विधीक्षण कराना अत्यंत कठिन एवं समय साध्य होगा।

अत: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण योजना के अंतर्गत लगभग 200 सम्पत्तियों को उनके भू-स्वामियों से राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2015 के प्राविधानों के अनुसार क्रय किये जाने के संबंध में शासनादेश सं०-क०नि०-5-3302/11-2001-500(22)/2001, दिनांक 31 मई, 2001 तथा शासनादेश सं०-18/2016/634/94-स्टा०नि०-2-2016-700(634)/2016, दिनांक 30 जून, 2016 में निर्धारित विक्रय विलेखों के विधीक्षण के प्राविधान को इस सीमा तक शिथिल किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है कि संदर्भित शासनादेशों में उल्लिखित विलेखों के निष्पादन की प्रक्रिया श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण के लिए आपसी समझौते के आधार क्रय की जाने वाली सम्पत्तियों के विक्रय विलेखों के विधीक्षण पर लागू नहीं होगी।

3. उक्त निर्गत शासनादेश दिनांक 31 मई, 2001 तथा 30 जून, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(हिमांशु कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-508(1)/94-स्टा०नि०-2-2018, दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2.समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3.समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।

4.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।